(182) (75)

बिलोपित / बिलोपित बिलोपित / बिलोपित

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0 निग0-4314/सतना/2018/भू.रा.

बिलोपित / बिलोपित बिलोपित / बिलोपित

रमई साकेत तनय नथुआ उर्फ वैजनाथ साकेत, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती निवासी ग्राम डिठौरा, तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0

अधि0 श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा पेश। 12.7.18

————————निगरानीकर्ता

विरूद्ध

शासन म0प्र0 ————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय उपतहसील ताला, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म0प्र0)के प्रकरण कमाक 25अ–12/17–18 आदेश दिनांक 21.05.2018

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक रमई साकेत तनय नथुआ उर्फ बैजनाथ साकेत निवासी ग्राम डिठौरा, का निवासी है, तथा आराजी नं0 495/1/क रकवा 0.425हेआराजी नं0 495/1/ख रकवा 0.024हे व 495/1/ग रकवा 0.076हे कुल किता 3 स्थित ग्राम डिठौरा, तह0 अमरपाटन के सीमांकन हेतु जिला सतना में आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसका सीमांकन

नि0अ0 रमई साकेत

(75)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.4314 / 2018 सतना / भू–रा0 जिला–सतना

रमई साकेत / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, उपतहसील ताला, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 25 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	